[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली 1 जुलाई, 2015

<u>आदेश</u>

का.आ.1790(अ).— काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति 26 मई, 2015 को मिल गई है;

और अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अधिनियम 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगा,

और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर के प्रभारण का उपबंध है;

और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य है;

और अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में यथापरिभाषित "पूर्ववर्ष" से निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व की बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

और अप्रकटित विदेशी आस्ति की घोषणा से संबंधित अधिनियम की धारा 59 में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पहले, भारत के बाहर अवस्थित और 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व के किसी निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर से प्रभार्य आय से अर्जित किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में घोषणा किए जाने का उपबंध है;

और अधिनियम की धारा 60 में, धारा 59 के अधीन घोषित अप्रकटित विदेशी आस्ति पर अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी आस्ति के मूल्य पर कर के प्रभारण का उपबंध है;

और संसद् द्वारा पारित अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 26 मई, 2015 को प्राप्त हुई है, अत: इस अधिनियम के उपबंधों को, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष से संबंधित है, 26 मई, 2015 के पूर्व प्रभावी नहीं किया जा सकता है;

"अधिनियम के प्रारंभ की तारीख" पद का निर्वचन करने में और अधिनियम की धारा 59 और धारा 60 के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है, जिसका कि अर्थान्वयन 1 अप्रैल, 2016 के रूप में किया जा सकता है, जबकि अधिनियम के अधीन कर की प्रभार्यता 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष से सुसंगत 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश, 2015 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 1 की उपधारा (3) में "1 अप्रैल, 2015" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जुलाई, 2015" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं.56 /2015 फा.सं. 133/33/2015-टीपीएल]

(अमित कटोच)
अवर सचिव, भारत सरकार